संख्या– / XX–4 / 2019–51(कारा0) / 2017

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4 — देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषय– उप कारागार, हल्द्वानी में टाईप–2 के 45 आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–579 / 06 / निर्माण (2015–16) / 2018, दिनांक 10–06–2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या–240 / XX–4 / 2018–51(कारा0) / 2017, दिनांक 27–07–2018 द्वारा स्वीकृत कुल लागत रू0 848.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त (40%) की अवमुक्त धनराशि रू0 340.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप कारागार, हल्द्वानी में टाईप–2 के 45 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त (लगभग 40%) रू0 340.00 लाख (रू0 तीन करोड़, चालीस लाख मात्र) अवमुक्त कर उक्त शासनादेश दिनांक 27–07–2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 051–निर्माण 02–जेलों का निर्माण / भूमि कय–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित विभाग के शासनादेश संख्या–254 / 3(150)–2017 / XXVII(1) / 2019, दिनांक 29–03–2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधायित अधिकारों के कम में संलग्न अलॉटमेण्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये ज़ा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव